



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 376 राँची, मंगलवार, 6 आषाढ़, 1945 (श०)
27 जून, 2023 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

27 जून, 2023

अधिसूचना सं०-5/स०भू० (दर निर्धारण)-186/2019-2154(5)/रा०--

विषय:- राज्य में सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु नीति निर्धारण करने के संबंध में।

राज्य में सरकारी भूमि के विभिन्न निजी अथवा सरकारी संस्थाओं/व्यक्तियों को विभिन्न परियोजनार्थ हस्तांतरण (लीज अथवा स्थायी बंदोबस्ती के माध्यम से) के संबंध में समेकित नीति की आवश्यकता को देखते हुए नीति निर्धारण हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है:-

- | | |
|--|-----------------|
| (1) निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, झारखण्ड सरकार | - अध्यक्ष |
| (2) श्री संदीप कुमार, संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार | - सदस्य
सचिव |
| (3) वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा मनोनीत संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी | - सदस्य |
| (4) उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा मनोनीत संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी | - सदस्य |
| (5) श्री शंभु कुमार सिंह अवर सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार | - सदस्य |

समिति निम्नांकित बिन्दुओं पर अपनी अनुशंसा देगी :-

1. हस्तांतरण हेतु दर निर्धारण ।
 2. हस्तांतरण के शर्तों का निर्धारण यथा सलामी, रेंट एवं सेस, अवधि इत्यादि ।
 3. हस्तांतरण हेतु प्रक्रिया का निर्धारण ।
 4. लीज नवीकरण की प्रक्रिया एवं शर्तों का निर्धारण ।
 5. हस्तांतरण की शर्तों के अनुपालन न होने की स्थिति में नीति निर्धारण के संबंध में अनुशंसा।
 6. विभागीय संकल्प सं०-4175/रा०, दिनांक-08.10.2018 एवं अधिसूचना सं०-4877, दिनांक-11.12.2018 में उल्लेखित Non Profitable/Charitable/Spiritual Organisation को परिभाषित करने के संबंध में।
- (क) समिति उपरोक्त बिन्दुओं के संदर्भ में पुराने परिपत्रसंकल्प तथा अन्य राज्यों के नियम/परिपत्र पर विचार कर अपनी अनुशंसा यथा संभव एक माह के अन्दर सरकार को समर्पित करेगी।
- (ख) समिति को किसी भी विभाग के पदाधिकारी को प्रसंगाधीन मामले में विमर्श हेतु बुलाने का अधिकार होगा।
- (ग) समिति द्वारा Stakeholders से विमर्श भी किया जायेगा।
- (घ) समिति को अन्य राज्य में भ्रमण हेतु अधिकार होगा। यात्रा के दौरान होने वाली व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा देय होगी।
- (ङ) उपरोक्त प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्र,
सरकार के अपर सचिव।
